2025:CGHC:18966-DB

प्रकाशनार्थ अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

दाण्डिक अपील क्रमांक 645/2016

[अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, फास्ट ट्रैक कोर्ट, रायगढ़, छत्तीसगढ़ द्वारा सत्र विचारण क्रमांक 115/2015 में दिनांक 30.03.2016 को पारित निर्णय से प्रोद्भूत]

1. विजय केरकेट्टा पिता सुखुराम केरकेट्टा, आयु लगभग 50 वर्ष;
2. जगवती बाई पति बुलेराम एक्का, आयु लगभग 48 वर्ष।

दोनों निवासी- ग्राम विजयनगर कटमोहलीपारा, थाना- कापू, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़

... अपीलार्थीगण

विरुद्ध

छत्तीसगढ़ राज्य,द्वारा: थाना प्रभारी, थाना-कापू, सिविल एवं राजस्व जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़

...उत्तरवादी

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अपीलार्थी की ओर से :- श्री अपूर्व त्रिपाठी, अधिवक्ता

उत्तरवादी-राज्य की ओर से :- श्री पंकज सिंह, पैनल अधिवक्ता

खण्डपीठ

माननीय न्यायमूर्ति श्री संजय के. अग्रवाल एवं

माननीय न्यायमूर्ति श्री दीपक कुमार तिवारी

बोर्ड पर निर्णय

(23.04.2025)

संजय के. अग्रवाल, न्यायाधीश

1. अपीलार्थीगण विजय केरकेट्टा (अपीलार्थी-1) और जगवती बाई (अपीलार्थी-2) द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 374(2) के अधीन प्रस्तुत वर्तमान दाण्डिक अपील में, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, फास्ट ट्रैक कोर्ट, रायगढ़, छत्तीसगढ़ द्वारा सत्र विचारण क्रमांक 115/2015 में दिनांक 30.03.2016 को पारित निर्णय की विधिमान्यता ,वैधता एवं औचित्यता को चुनौती दी गई है, जिसमें अपीलार्थीगण को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 363, 371, 374/34 के अधीन अपराधों से दोषमुक्त करते हुए तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 370(4) के अधीन अपराध कारित करने हेतु सिद्धदोष कर प्रत्येक को

आजीवन कारावास एवं ₹ 1,000/– के अर्थदण्ड,अर्थदण्ड के संदाय के व्यतिक्रम पर छह माह के अतिरिक्त कारावास से दण्डित किया गया है।

2. वर्तमान प्रकरण में, अपीलार्थीगण के विरुद्ध दिनांक 20.11.2015 को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 363, 370, 371 374/34 के अधीन अपराध कारित करने हेतु आरोप विरचित किए गए थे, और अंततः अपीलार्थीगण को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 370 (4) के अधीन अपराध कारित करने हेतु सिद्धदोष एवं दण्डित किया गया है, यद्यपि भारतीय दण्ड संहिता की धारा 370 को दाण्डिक विधि (संशोधन) अधिनियम, 2013 द्वारा संशोधित किया गया था और यह दिनांक 03.02.2013 से लागू हुआ।

<u>अभियोजन की कहानी:–</u>

3. प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने की तिथि 09.06.2015 से बारह वर्ष पूर्व (प्र.पी./4), अपीलार्थीगण ने अपने समान आशय को आगे बढ़ाते हुए पीड़िता शांतिबाई (अ.सा.–5), जो अपराध के समय लगभग 8 वर्ष की थी, को उसके माता–पिता की वैध संरक्षकता से बेहतर शिक्षा देने का प्रलोभन देकर अपहरण कर लिया और उसे दिल्ली ले गए, जहां उसे नौकरानी के रूप में रखा गया और उसकी इच्छा के विरुद्ध उसका शोषण भी किया गया। अपीलार्थीगण के उक्त कृत्य के विरुद्ध पीड़िता के पिता धरकूराम (अ.सा.–3) ने प्र.पी./3 द्वारा लिखित शिकायत की थी, जिसमें बताया था कि अपीलार्थी–1 विजय केरकेट्टा उनकी पुत्री (अ.सा.–5) को बेहतर शिक्षा दिलाने के लिए उसे दिल्ली ले गया था, किंतु अपीलार्थी–1 ने उसकी पुत्री को बेच दिया और नौकरानी के रूप में रख लिया और जब उसने (अ.सा.–3) अपीलार्थी–1 से अपनी पुत्री के विषय में पूछा, तब भी अपीलार्थी–1 उसे यह कहकर धोखा देता रहा कि उसकी पुत्री (अ.सा.–5) काफी समय से पढ़ाई कर रही है, जिसके आधार पर दिनांक 09.06.2015 को प्र.पी./4 द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई थी। प्र.पी./2 द्वारा अपराध विवरण तैयार किया गया था। अन्वेषण प्रारंभ हुआ और अपीलार्थीगण को गिरफ्तार कर लिया गया।

4. उचित अन्वेषण के उपरांत, अपीलार्थीगण को उपरोक्त अपराध के लिए आरोप–पत्र दिया गया तथा प्रकरण को विधि के अनुसार सुनवाई हेतु सत्र न्यायालय को उपार्पित किया गया। अभियुक्त/अपीलार्थी ने अपने अपराध को अस्वीकार किया और बचाव में प्रवेश किया।

5. अपराध को साबित करने के लिए अभियोजन ने 8 साक्षियों का परीक्षण कराया और 13 दस्तावेज प्रस्तुत किए, जबकि बचाव पक्ष ने अपने प्रकरण के समर्थन में न तो किसी साक्षी का परीक्षण कराया और न ही कोई दस्तावेज प्रस्तुत किया। अभियुक्त/अपीलार्थी का कथन दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

के अधीन दर्ज किया गया, जिसमें उसने अभियोजन द्वारा अभिलेख पर प्रस्तुत साक्ष्य में उसके विरुद्ध दिखाई देने वाली परिस्थितियों को अस्वीकार किया,स्वयं को निर्दोष बताया और झूठे फँसाए जाने का अभिवाक किया।

6. विद्वान विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर प्रस्तुत मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य की विवेचना करने के उपरांत, अभियुक्त/अपीलार्थीगण को निर्णय के प्रारंभिक पैराग्राफ में उल्लिखित अपराध कारित करने हेतु सिद्धदोष किया, जिसके विरुद्ध अपीलार्थीगण द्वारा दोषसिद्धि एवं दण्डादेश के आक्षेपित निर्णय को प्रश्नगत करते हुए अपील प्रस्तुत की गई।

पक्षकारों का तर्क:–

7. अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री अपूर्व त्रिपाठी का तर्क है कि अभियोजन अपराध को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में सक्षम नहीं रहा है। उनका यह भी तर्क है कि कथित अपराध वर्ष 2003 में हुआ था, जिसके विरुद्ध पीड़िता के पिता धरकुराम (अ.सा.–3) ने प्र.पी./3 द्वारा शिकायत की थी, जिसके अनुपालन में प्र.पी./4 द्वारा दिनांक 09.06.2015 को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई थी और अपीलार्थीगण के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 370 के अधीन अपराध कारित करने हेतु दिनांक 20.11.2015 को आरोप विरचित किए गए थे और उन्हें भारतीय दण्ड संहिता की धारा 370(4) के अधीन अपराध के लिए अंततः सिद्धदोष किया गया है, यद्यपि भारतीय दण्ड संहिता की धारा 370(4) को दाण्डिक विधि (संशोधन) अधिनियम, 2013 द्वारा दिनांक 03.02.2013 से लागू किया गया था। अतः अपीलार्थी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 370(4) के अधीन अपराध के लिए सिद्धदोष नहीं ठहराया जा सकता। आगे उनका तर्क है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 20(1) के आधार पर अपीलार्थीगण को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 370(4) के अधीन अपराध के लिए सिद्धदोष नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि भारत के संविधान का अनुच्छेद 20(1) भूतलक्षी दण्ड विधान को प्रतिबंधित करता है और किसी भी व्यक्ति को उस अपराध के लिए सिद्धदोष नहीं ठहराया जाएगा जो उस समय लागू विधि के उल्लंघन के लिए है जिस पर अपराध के रूप में आरोप विरचित किया गया है। आगे उनका तर्क है कि यह सुस्थापित है कि दण्डात्मक प्रावधान जो दण्ड को वर्धित करता है या एक नवीन अपराध प्रस्तुत करता है उसे भूतलक्षी रूप से लागू नहीं किया जा सकता है। अपने तर्क के समर्थन में अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने **टी. बरई विरुद्ध हेनरी आह हो व अन्य**[1] तथा **रतन लाल विरुद्ध पंजाब राज्य**[2] के प्रकरणों में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित निर्णयों का अवलंब लिया, अतः धारा 370(4) के अधीन अपराध कारित करने हेतु अपीलार्थीगण को सिद्धदोष ठहराना और आजीवन कारावास का दण्ड अधिरोपित करना संविधान के अनुच्छेद 20(1) के आधार पर पूर्णतः

1 (1983) 1 SCC 177
2 AIR 1965 SC 444

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

अवैधानिक और संवैधानिक रूप से अस्वीकार्य है। अतः प्रश्नगत अपराधों के लिए अपीलार्थीगण की दोषसिद्धि अपास्त की जाए तथा वे दोषमुक्ति के पात्र हैं।

8. राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री पंकज सिंह ने, आक्षेपित निर्णय का समर्थन किया तथा तर्क किया कि अभियोजन अपराध को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में सक्षम रहा है। उन्होंने यह भी तर्क किया कि विचारण न्यायालय ने अपीलार्थीगण को प्रश्नगत अपराध हेतु उचित रुप से सिद्धदोष ठहराया है और अतः वर्तमान अपीलार्थीगण की अपील खारिज किए जाने योग्य है।

9. हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना है, उनके द्वारा प्रस्तुत परस्पर विरोधी तर्कों पर विचार किया है तथा अभिलेखों का सुक्ष्मतापूर्वक परिशीलन किया है।

विमर्श एवं विश्लेषण:–

10. माना कि इस प्रकरण में अपीलार्थीगण को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 370(4) के अधीन अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है तथा अभियोजन के अनुसार घटना प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्र.पी./4) दर्ज करने की तिथि से बारह वर्ष पूर्व अर्थात दिनांक 09.06.2015 को ग्राम गीतकालो, थाना कापू, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ में घटित हुई थी तथा विचारण न्यायालय द्वारा 20.11.2015 को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 370 के अधीन अपराध के लिए आरोप विरचित किए गए थे, जिसमें भारतीय दण्ड संहिता की धारा 370(4) भी शामिल है, जिसमें शोषण के प्रयोजन से तस्करी करने, किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को भर्ती करने, परिवहनित, संश्रित, स्थानांतरित करने तथा प्राप्त करने के अपराध को अंजाम देने वाले अभियुक्त के विरुद्ध दाण्डिक विधि (संशोधन) अधिनियम, 2013 के अधीन आजीवन कारावास का दण्ड विहित किया गया है। यद्यपि, वर्तमान प्रकरण में, यद्यपि अपराध 03.02.2013 से प्रभावी भारतीय दण्ड संहिता की धारा 370 के संशोधन से पहले किया गया था, परंतु वर्तमान अपीलार्थीगण के विरुद्ध दिनांक 20.11.2015 को भारतीय दण्ड संहिता की संशोधित धारा 370 (4) के अधीन आरोप विरचित किए गए थे।

11. इस स्तर पर, भारत के संविधान के अनुच्छेद 20(1) पर विचार करना उपयुक्त होगा, जिसमें निम्नानुसार व्यक्त किया गया है:–

> " **20. अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण –**
>
> (1) कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए तब तक सिद्धदोष नहीं ठहराया जाएगा , जब तक कि उसने ऐसा कोई कार्य करने के समय, जो अपराध के रुप में आरोपित है, किसी प्रवृत्त विधि का अतिक्रमण नहीं किया है या उससे अधिक शास्ति का भागी नहीं

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

होगा जो उस अपराध के किए जाने के समय प्रवृत्त विधि के अधीन अधिरोपित की जा सकती है ।"

12. भारत का संविधान के अनुच्छेद 20(1) का ध्यानपूर्वक परिशीलन करने से ज्ञात हुआ है कि यह भूतलक्षी दण्ड विधान को प्रतिबंधित करता है और यह आदेश देता है कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी अपराध के लिए सिद्धदोष नहीं ठहराया जा सकता है, सिवाय उस समय लागू विधि के उल्लंघन के, जिस पर अपराध के रूप में आरोप लगाया गया है। इसके अतिरिक्त, **न्यायमूर्ति जी.पी. सिंह द्वारा वैधानिक व्याख्या के सिद्धांतों में**,[3]यह अभिनिर्धारित किया गया है कि दण्ड विधान जो अपराध बनाते हैं या जो वर्तमान अपराधों के लिए दण्ड वर्धित करने का प्रभाव रखते हैं, वे केवल भारत का संविधान के अनुच्छेद 20 द्वारा लगाए गए संवैधानिक प्रतिबंध के कारण ही संभावित होंगे। अन्यथा भी उन्हें संभावित माना जाता है "क्योंकि यह स्पष्ट रूप से किसी की न्याय की भावना को झकझोरता है कि कोई कार्य, जो उसे करने के समय वैध था, उसे किसी नए अधिनियम द्वारा अवैधानिक बना दिया जाए"। इस प्रकार, दाण्डिक विधि की व्याख्या का यह एक स्थापित सिद्धांत है कि ऐसे प्रावधानों की सख्ती से व्याख्या की जानी चाहिए और उन्हें भूतलक्षी प्रभाव नहीं दिया जा सकता है जब तक कि विधायी आशय और अभिव्यक्ति अस्पष्टता से परे स्पष्ट न हो।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. **टी. बरई** (पूर्वोक्त) के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय के माननीय न्यायाधिपतियों ने अभिनिर्धारित किया है कि जहां तक केंद्रीय संशोधन अधिनियम नए अपराध बनाता है या किसी विशेष प्रकार के अपराध के लिए दण्ड वर्धित करता है, किसी भी व्यक्ति को ऐसे *भूतलक्षी प्रभाव* विधि द्वारा सिद्धदोष नहीं ठहराया जा सकता है और न ही संशोधन द्वारा विहित वर्धित दण्ड लागू होगी और निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया है:–

> "**22.** अनुच्छेद 20(1) के अंतर्गत केवल भूतलक्षी दाण्डिक विधि ही निषिद्ध है। अनुच्छेद 20(1) में निहित निषेध यह है कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी अपराध के लिए सिद्धदोष नहीं ठहराया जाएगा, सिवाय उस अपराध के समय लागू विधि के उल्लंघन के, जिस पर आरोप विरचित किया गया है और न ही उसे उस अपराध के समय लागू विधि के अधीन लगाए जा सकने वाले दण्ड से अधिक दण्ड दिया जाएगा। यह सुस्पष्ट है कि जहां तक केंद्रीय संशोधन अधिनियम नए अपराध बनाता है या किसी विशेष प्रकार के अपराध के लिए दण्ड वर्धित करता है, किसी भी व्यक्ति को ऐसे भूतलक्षी विधि द्वारा सिद्धदोष नहीं ठहराया जा सकता है और न ही संशोधन द्वारा विहित वर्धित दण्ड लागू हो सकती है। परंतु जहां तक केंद्रीय संशोधन अधिनियम अधिनियम की धारा 16(1)(क) के अधीन दण्डनीय अपराध के लिए दण्ड को कम करता है, तो कोई कारण नहीं है कि अभियुक्त को ऐसी न्यून दण्ड का लाभ नहीं मिलना चाहिए। लाभकारी निर्माण का नियम

3 6.2.6 Penal Statues, at page No. 424 in 15th Edition

इस प्रकार के विधि की कठोरता को कम करने के लिए भूतलक्षी विधि को भी लागू किया जाना चाहिए। यह सिद्धांत ठोस तर्क और सामान्य ज्ञान दोनों पर आधारित है। *क्रेज़ ऑन स्टैच्यूट लॉ,* 7 वें संस्करण, पृष्ठ 388–89 से निम्नलिखित अंश में इसका समर्थन मिलता है:

"भूतलक्षी विधि भूतलक्षी प्रभाव से भिन्न होता है। "प्रत्येक भूतलक्षी विधि..." न्यायमूर्ति चेस ने *कैलडर विरुद्ध बुल* [3 यू.एस. (3 डैल) 386: 1 एल एड 648 (1798)] के अमेरिकी प्रकरण में व्यक्त किया, "आवश्यक रूप से भूतलक्षी होना चाहिए, परंतु प्रत्येक भूतलक्षी विधि भूतलक्षी प्रभाव नहीं है। प्रत्येक विधि जो वर्तमान विधियों के लिए सहमत रूप से निहित अधिकारों को छीनता है या ह्रास करता है, भूतलक्षी है, और सामान्यतः अन्यायपूर्ण है और दमनकारी हो सकता है; यह एक अच्छा सामान्य नियम है कि किसी विधि का कोई भूतलक्षी प्रभाव नहीं होना चाहिए, परंतु ऐसे प्रकरणों में जिनमें विधि समुदाय और व्यक्तियों के लाभ के लिए न्यायसंगत रूप से और उनके प्रारंभ से पहले के समय से संबंधित हो सकते हैं: विस्मरण या क्षमा के विधि के रूप में। वे निश्चित रूप से भूतलक्षी हैं, और वस्तुतः दोनों ही तथ्यों के बारे में और उसके बाद के हैं। *परंतु मैं किसी भी विधि को निषेध के अंतर्गत नहीं मानता जो दाण्डिक विधि की कठोरता को कम करता है, बल्कि केवल उन विधियों को मानता हूं जो अपराध को बनाते हैं या बढ़ाते हैं, या दण्ड वर्धित करते हैं या दोषसिद्धि के प्रयोजन से साक्ष्य के नियमों को परिवर्तित करते हैं....* एक अवैधानिक कार्य को वैध बनाने और एक निर्दोष कार्य को दाण्डिक बनाने और उसे अपराध के रूप में दंडित करने के मध्य एक बड़ा और स्पष्ट अंतर है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. **टी. बरई** (पूर्वोक्त) के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय के माननीय न्यायाधिपतियों द्वारा प्रतिपादित विधि के सिद्धांतों तथा भारत के संविधान के अनुच्छेद 20(1) में निहित आदेशों के आलोक में वर्तमान प्रकरण के तथ्यों पर लौटते हुए ,यह स्पष्ट है कि वर्तमान अपीलार्थीगण द्वारा कथित रूप से जब धारा 370 के अधीन अपराध कारित किया गया था, उस समय धारा 370(4) विधि–पुस्तिका में नहीं थी, अतः विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दोनों अपीलार्थीगण को धारा 370(4) के अधीन अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराना पूर्णतया अनुचित है, जो उस समय लागू नहीं था, जब कथित रूप से अपराध किया गया था। धारा 370(4) भारतीय दण्ड संहिता दिनांक 03.02.2013 से लागू हुई। जबकि, वर्तमान प्रकरण में प्रश्नगत अपराध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने की तिथि (प्र.पी./4) अर्थात दिनांक 09.06.2015 से बारह वर्ष पूर्व किया गया था, अतः भारत के संविधान के अनुच्छेद 20(1) के आलोक में तथा **टी. बरई** (पूर्वोक्त) के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के आलोक में, हमारा यह सुविचारित अभिमत है कि वर्तमान दोनों अपीलार्थीगण अर्थात् विजय केरकेट्टा (अपीलार्थी–1) तथा जगवती बाई (अपीलार्थी–2) को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 370(4) के अधीन अपराध के लिए सिद्धदोष नहीं ठहराया जा सकता, जिसे दिनांक 03.02.2013 से ही विधि–पुस्तिका में लाया गया था।

निष्कर्ष:–

15. उपरोक्त विमर्श और विश्लेषण के दृष्टिगत, दिनांक 30.03.2016 को विचारण न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि व दण्डादेश जिसमें अपीलार्थीगण को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 370(4) के अधीन अपराध कारित करने हेतु सिद्धदोष व दण्डित किया गया है, को अपास्त किया जाता है एवं अपीलार्थीगण दोषमुक्ति के पात्र हैं। अपीलार्थीगण जमानत पर बताए गए हैं। उन्हें अभ्यर्पण करने की आवश्यकता नहीं है। यद्यपि, दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 437–क में निहित प्रावधानों के अधीन उनके जमानत बंधपत्र छह माह की अवधि तक प्रभावशील रहेंगे।

16. इस निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि मूल अभिलेख सहित संबंधित विचारण न्यायालय को सूचनार्थ और आवश्यक कार्रवाई, यदि कोई हो, हेतु प्रेषित की जाए।

सही/–
(संजय के. अग्रवाल)
न्यायाधीश

सही/–
(दीपक कुमार तिवारी)
न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवाहरिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**